यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (सिंचाई खण्ड), जखोली, रुद्रप्रयाग** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (सिंचाई खण्ड), जखोली, रुद्रप्रयाग के माह 04/2013 से 04/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री शरत श्रीवास्तव**, सहायक लेखापरीक्षा **अधिकारी** एवं **श्री** मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 19.05.2018 से 26.05.2018 तक श्री **सुनील कल्ला**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–**इस इकाई की **प्रथम** लेखापरीक्षा **है।**

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (सिंचाई खण्ड), जखोली, रुद्रप्रयाग के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं अधिक के बसावटों को मोटर मार्ग से संयोजित करना है। इसके अतिरिक्त स्टील एवं आरसीसी सेतु का भी निर्माण किया जाता है। कार्यालय का कार्य क्षेत्र जखोली है।

(ii) (अ) विगत **तीन** वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिकअवषेष		गैरस्थापना		स्थापना		गैरस्थापना		स्थापना	
	गैरस्थापना	स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	88.41	--	310.53	289.46	1674.18	1573.26	–	109.48	–	100.92
2016–17	97.52	--	390.06	342.39	1326.93	1289.03	–	145.19	–	37.90
2017–18	116.06	--	435.46	385.33	1419.79	1373.71	–	166.19	–	46.08

नोटः 1. Non Plan में वर्ष 2015-16 में समर्पित राशि ₹ 11.96 लाख, Non Plan में वर्ष 2016-17 में समर्पित राशि ₹ 29.12 लाख, Non Plan में वर्ष 2017-18 राशि ₹ 57.12 लाख,

(ब)केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्तनिधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजनाकानाम	प्रारम्भिकअवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	पीएमजीएसवाई प्रोग्राम फ़ंड	0.00	1674.18	1573.26	-	100.92
2016–17		0.00	1326.93	1289.03	-	37.90
2017–18		0.00	1419.79	1373.71	-	46.08

(iii) इकाई को बजट आबंटन प्रोग्राम फंड (पीएमजीएसवाई) मद में केंद्र से प्राप्त होता है एवं अनुरक्षण, प्रशासन, आपदा एवं क्षतिपूर्ति मद मे राज्य सरकार से प्राप्त होता है। गैर-स्थापना एवं स्थापना ब्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "बी" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

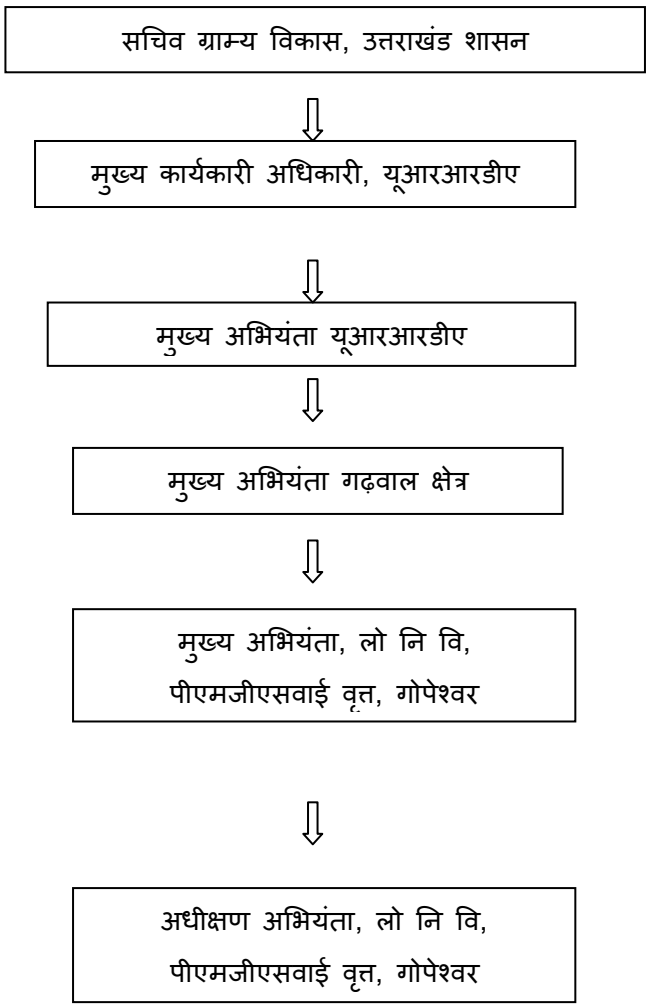

(iv) लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (सिंचाई प्रखण्ड), जखोली रुद्रप्रयाग** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (सिंचाई प्रखण्ड), जखोली रुद्रप्रयाग** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। **माह मार्च 2015 एवं मार्च 2017** को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v)लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तरः- 1- धद्दी मालगढ़ी-सेरा-बांसी-मोटर मार्ग स्टेज-1 के प्रकरण मे मोबालिजेशन अग्रिम की धनराशि रु 40.70 लाख एवं प्रतिकर की धनराशि रु 6.91 लाख का लंबित भुगतान

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-VII के अंतर्गत धद्दी मालगढ़ी-सेरा-बांसी-मोटर मार्ग स्टेज-1 के निर्माण कार्य मे रु 821.18 लाख एवं पाँच वर्षीय अनुरक्षण एवं रख-रखाव कार्य मे रु 50.60 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति 2009 को प्रदान की गयी थी। जिसमे खरगेद तक 11.00 किमी लंबाई मे एवं सेरा से बांसी तक 8.00 किमी लंबाई मे मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था।

(अ) आपरेशन मैनुअल के अनुसार, The repayment of advance will be effected by the engineer by deducting proportionate amounts from the payments due or otherwise falling due.

अभिलखो के निरीक्षण मे प्रकाश मे आया कि स्टेज I के कार्यो को करने के लिये मार्च 2012 को रु 771.95 लाख का अनुबंध ठेकेदार के साथ किया गया। जिसमे कार्य प्रारम्भ कि तिथि मार्च 2012 एवं समाप्ति की तिथि सितंबर 2013 थी। समय-समय पर अधिकारियों द्वारा अर्थदण्ड के साथ समय वृद्धि प्रदान की गयी। कार्य दिसंबर 2016 को पूर्ण किया गया। इकाई द्वारा 19.00 किमी की लंबाई मे मोटर मार्ग का निर्माण न करके 17.00 किमी की लंबाई तक मोटर मार्ग का निर्माण किया गया। बिल का अंतिमिकरण कर रु 716.47 लाख का भुगतान किया गया। यह भी पाया गया कि अनुबंध पर रु 115.00 लाख का मोबिलिजेशन अग्रिम दिया गया था। जिस पर वर्तमान तक रु 40.70 लाख कि वसूली लंबित थी।

(ब) पीएमजीएसवाई दिशानिर्देश के अनुसार, प्रत्येक सड़क कार्य के प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिये कि जमीन उपलब्ध है । तथा उपलब्ध कराई गई जमीन के ब्योरे स्थायी भू-अभिलेखो मे दर्ज कराये जाने चाहिये। धद्दी मालगढ़ी-सेरा-बांसी-मोटर मार्ग स्टेज-1 के भू अभिलेख संबंधी पत्रावली के निरीक्षण मे पाया गया कि काश्तकारों के प्रतिकर के भुगतान के प्रकरण मे इकाई के पास पर्याप्त बजट होने के पश्चात भी प्रतिकर भुगतान के रु 6.91 लाख के प्रकरण लंबित थे (संलग्नक-अ)। इकाई से इस संबंध मे पूछने पर बताया गया कि वर्तमान मे अंतिम बिल लगभग रु 10.00 लाख के करीब था जिस कारण रु 40.70 लाख कि वसूली नहीं की जा सकी। एफ़डीआर एवं प्रतिभूति जमा की राशि से वसूली की जाएगी। तथा प्रतिकर का बजट वर्ष 2014 मे प्राप्त हुआ था जिसमे कुछ का भुगतान किया गया है। शेष का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, मैनुअल के अनुसार, मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली अंतिम बिल तक कर ली जानी चाहिये थी। जो इकाई द्वारा नहीं किया गया साथ ही वर्ष 2014 के प्राप्त बजट को 4 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी प्रतिकर का भुगतान नहीं किया गया और न ही कैंप इत्यादि लगाकर विशेष प्रयास किया गया।

अतः धद्दी मालगढ़ी-सेरा-बांसी-मोटर मार्ग स्टेज-1 के प्रकरण मे मोबिलाइजेशन अग्रिम की धनराशि रु 40.70 लाख एवं प्रतिकर की धनराशि रु 6.91 लाख के लंबित भुगतान का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

संलग्नक-(अ)

खतौनी खाता सं0	खातेदार का नाम	भूमि प्रतिकर की राशि
15	रामप्यारी बेवा ऋषिराम	24150/-
40	सर्वेश्वर दत्त जगदीश प्रसाद	29400/-
38	शिवप्रसाद बेटा सत्यप्रसाद	51000/-
38	ललिता प्रसाद बेटा मुंशीराम	8400/-
36	राजेन्द्र प्रसाद आदि	10500/-
05	जयंतीप्रसाद सतपाल	21000/-
46	हर्षपति बेटा इंद्रमडी	31500/-
44	हनुमान प्रसाद महावीर प्रसाद	113050/-
43	सुभाष के सत्यप्रसाद जयंतीप्रसाद इत्यादि	64150/-
45	हर्षपति बेटा इंद्रमडी	40950/-
45	हर्षपति बेटा इंद्रमडी	16800/-
23	विशेश्वर दत्त बेटा गोविंदराम	50150/-
38	मातम्बर सिंह	22400/-
32	बचन सिंह राजेंद्र सिंह इत्यादि	23200/-
14	जसपाल सिंह पूर्ण सिंह	3150/-
59	विक्रम सिंह	16000/-
57	एमओएचएएनएलएएल	18400/-
71	एचएआरएसएचयूएलएएल	4800/-
68	फतरु बेटा चौपाड़	25200/-
01	अमर सिंह गबर सिंह इत्यादि	19950/-
45	कर्ण सिंह जगत सिंह	22050/-
10	जुगल किशोर	2500/-
16	आशुतोष	790/-
26	अशोक	2519/-
22	हनुमान प्रसाद	22290/-
61	बलवीर सिंह	6485/-
61	गजे सिंह	9630/-
03	आनंद सिंह राजेन्द्र सिंह	22170/-
44	दौलत सिंह	10815/-
	कुल लंबित प्रतिकर रु	**691149/-**

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 2- 1 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि रु 51.69 लाख बिलो से न काटे जाने के संबंध मे।

श्रम आयुक्त/सचिव उत्तराखंड भवन एवं अन्य सान्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम हल्द्वानी के पत्र सं0 1961/छ - 24-पीएओसी/2016 दिनांक 15.06.2012 के आदेशो के अनुपालन मे वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु दिनांक 17.06.2013 को केंद्रीय शेड्यूल आफ रेट्स के पुनरीक्षण मे प्रत्येक मद मे 1 प्रतिशत लेबर सेस का प्राविधान किया गया है।

इकाई के प्रोग्राम निधि की रोकड बही, बिल बाउचर के अवलोकन से प्रकाश मे आया कि इकाई द्वारा वर्ष 2013 से दिसंबर 2016 तक ठेकेदारो को निर्माण कार्यो हेतु किये गये भुगतान मे लेबर सेस कि 1 प्रतिशत की कटौती नहीं की जा रही थी। जिसके कारण शासन को रु 51.69 लाख **(संलंग्नक ब)** की हानि हुई तथा ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ।

इकाई से इस संबंध मे पूछने पर बताया गया कि जानकारी के अभाव मे लेबर सेस की धनराशि की कटौती बिलो से नहीं की गयी। जनवरी 2017 से लगातार कटौती की जा रही है।
इकाई के उत्तर से स्वतः इस तथ्य की पुष्टि होती है कि निर्माण कार्यो हेतु किये गये भुगतान मे लेबर सेस कि 1 प्रतिशत कि कटौती नहीं की गयी। जिसके कारण शासन को रु 51.69 लाख की हानि हुई तथा ठेकेदार को अनुचित लाभ हुआ।

प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

संलग्नक-(ब)

(रु लाख मे)

मोटर मार्ग का नाम	**अनुबंध सं0**	**वर्तमान तक भुगतानित बिल की सकल राशि**	**1% लेबर सेस की राशि जिसको बिल से कटौती नहीं की गयी**
तिलवाड़ा-सौराखाल मोटर मार्ग	08/एसई पीएमजीएसवाई/2014-15	1021.86 लाख	10.21 लाख
रायडी अर्खुद मोटर मार्ग	07/एसई पीएमजीएसवाई/2014-15	204.18 लाख	2.04 लाख
विजयनगर से तैला मोटर मार्ग का उच्चीकरण	21/एसई पीएमजीएसवाई/2014-15	627.82 लाख	6.27 लाख
रेस्टोरेशन कार्य मैठाना खाल से सौदा मोटर मार्ग	06/एसई पीएमजीएसवाई/2014-15	101.90 लाख	1.02 लाख
बिनोवाधार-कुड़ी-उचखोला (स्यूर) मोटर मार्ग	57/एसई पीएमजीएसवाई/2014-15	360.92 लाख	3.11 लाख
अनथोलि सिलाग्राम मोटर रोड स्टेज II	58/एसई पीएमजीएसवाई/2013-14	830.21 लाख	8.30 लाख
तिलवाड़ा-सौराखाल मोटर मार्ग उच्चीकरण	08/एसई पीएमजीएसवाई/2014-15	550.36 लाख	5.50 लाख
गोरपा सिरवाड़ी मोटर मार्ग स्टील ब्रिज	05/एसईपीएमजीएसवाई /2012-13	399.39 लाख	3.39 लाख
कोट जाखवाड़ी मल्ली स्टेज II मोटर मार्ग	06/एसईपीएमजीएसवाई /2015-16	88.68 लाख	0.88 लाख
विजयनगर तैला मोटर मार्ग	54/एसई पीएमजीएसवाई2014-15	30.99 लाख	0.30 लाख
रेस्टोरेसन कार्य अगस्त्मुनी से दोदवाली मोटर मार्ग	06/एसई पीएमजीएसवाई/2014-15	56.25 लाख	0.56 लाख
रेस्टोरेसन कार्य सुमंडी से जेल्ली मोटर मार्ग	04/एसई पीएमजीएसवाई/2014-15	4.48 लाख	0.04 लाख
24 मीटर स्पान ब्रिज	04/एसई पीएमजीएसवाई/2012-13	19.24 लाख	0.19 लाख
आमकोटि विजयनगर तैला मोटर मार्ग का रेस्टोरेसन कार्य	01/ईई पीएमजीएसवाई/2014-15	16.98 लाख	0.16 लाख
कोट से जाखवाड़ा मल्ली मोटर रोड	06/ एसई एमजीएसवाई/2009-10	88.69 लाख	0.88 लाख
बुड़ना पाला कुराली मोटर मार्ग	35/ एसई पीएमजीएसवाई/	287.72 लाख	2.88 लाख
घेघड़खाल जवाड़ी मोटर रोड	55/एसई पीएमजीएसवाई2016-17	95.00 लाख	0.95 लाख
तिलवारा टहरीकोट स्टेज आईआई मोटर मार्ग	01/ईई / पीएमजीएसवाई/2014-15	164.82 लाख	1.65 लाख
दध्धी सराय मोटर मार्ग	06/एसई पीएमजीएसवाई/2011-12	43.51 लाख	0.43 लाख
बिनोवाधार-कुराली स्टेज II मोटर मार्ग	26/ एसई पीएमजीएसवाई/ 2014-15	293.85 लाख	2.93 लाख
		कुल राशि रु	**51.69 लाख**

<u>भाग-दो (ब)</u>

प्रस्तर 3- उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2015 के अनुसार रु 62.18 लाख कार्य को निविदा मे शामिल न करके कार्यदेश के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ो मे कराया जाना।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2015 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक अवसर पर कम से कम तीन पंजीकृत ठेकेदारो से कोटेशन प्राप्त कर रु 3.00 लाख तक के कार्य करा सकते है। आपात स्थिति मे बिना निविदा के कार्यादेश के माध्यम से रु 5.00 लाख तक के कार्य कराये जा सकते है, जिसके लिये समुचित कारण अभिलिखित किये जाने चाहिये।

इकाई की कार्यदेश पंजिका तथा कराये गये बिल बाउचरों और अन्य संबन्धित अभिलेखो की जांच मे पाया कि सहायक अभियंता द्वारा सड़क एवं मरम्मत के निर्माण के कार्यो मे निविदा/टेंडर की प्रक्रिया से बचने के लिये निम्नलिखित कार्यो को छोटे छोटे टुकड़ो मे बांटकर कार्यादेश के माध्यम से करवाया गया। जिनकी लागत रु 3.00 लाख से अधिक की थी। जो न तो आकस्मिक प्रकृति के थे और न ही कार्यादेश के माध्यम से कराये जाने के समुचित कारण अभिलिखित थे।

इकाई से पूछने पर बताया गया कि कार्यो को तत्काल और अतिशीघ्र कराने के लिये छोटे छोटे टुकड़ो मे बांटकर समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु कराया गया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था। क्योकि संलग्नक-स मे दर्शाये गये सभी कार्य मोटर मार्ग के निर्माण से संबन्धित थे न कि आकस्मिक प्रकृति के कार्य थे जिसके लिये कार्यादेश के माध्यम से कार्य कराने कि आवशयकता होती।

अतः उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2015 के विपरीत रु 62.18 लाख के कार्य को छोटे छोटे टुकड़ो मे बांटकर कार्यादेश से कराये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

संलग्नक-(स)

Sr.no	W.O.B/ page no.	Name of work	Date	Amount
1	02/AE-48/2013-14	Slip clearance of Tilwara sour motarmarg 27 km	1/9/2015	97000
2		Slip clearance of Tilwara sour motarmarg 9km to 13km	5/9/2015	79000
3	06/AE- 06/ 2015-16	Slip clearance in Tilwara	10/7/2016	56800
4	06/AE- 07/ 2015-16	Routine maintenanceTilwara sour	11/7/2016	98000
5	06/AE- 08/ 2015-16	Slip clearance in TilwaleSurakhal	17/7/2016	95600
6	06/AE- 09/ 2015-16	Slip clearance in TilwaleSurakhal	19/7/2016	99500
7	06/AE- 10/ 2015-16	Slip clearance in TilwaleSurakha	24/7/2016	96900
8	06/AE- 12/ 2015-16	Slip clearance in TilwaleSurakhal	10/8/2017	59500
9	06/AE- 122/ 2015-16	Cont of Damage wall Tilwara	10/2/2017	297000
10	02/AE-46/2013-14	Slip clearance of Tilwara sour motarmarg	12/7/2015	91100
11	02/AE-47/2013-14	Slip clearance of Tilwara sour motarmarg 15 to 25 km	13/7/2015	91000
12	06/AE-32 / 2015-16	Slip clearance TilwaleSurakhal	26/2/2018	99600
13	02/AE-15/2013-14	Re- const of protection wall vijiyanagar	10/4/2014	648000
14	02/AE-16/2013-14	Re- const of protection R/w wall vijiyanagar motor road	11/4/2014	706000
15	02/AE-18/2013-14	Cont of causeway in vijaynagar	11/4/2014	347000
16	02/AE-19/2013-14	Re- const of Damage R/W vijaynagar	11/4/2014	806000
17	02/AE-41/2013-14	Maithana motor marg	15/12/2014	99800
18	02/AE-41/2013-14	Slip clearance Maithana motor marg	15/12/2014	98000
19	02/AE-12/2013-14	Slip clearance Maithana motor marg	20/11/2013	75450
20	02/AE-42/2013-14	Slip clearance Maithana motor marg	-	99000
21	06/AE- 05/ 2015-16	Slip clearance in Matyana	10/7/2016	56900
22	02/AE-41/2013-14	Maithana motor marg	15/12/2014	99800
23	06/AE- 13/ 2015-16	Routine maintenance of Mathanakhall	9/9/2016	69200
24	06/AE- 04/ 2015-16	Slip clearance in sumani	10/7/2016	88000
25	02/AE-14/2013-14	Re- const of protection wall	10/4/2014	1634700
26	02/AE-17/2013-14	Re- const of Damage Tuna motor road	11/4/2014	130000
		A	**कुल धनराशि रु**	**6218850/-**

भाग-दो (ब)

प्रस्तर 4- विजयनगर से तैला मोटर मार्गस्पान स्टील ग्रिडरब्रिज मे अनुबंध और शर्तो का पालन न किये जाने के कारण ठेकेदार को रु 10.43 लाख का अनुचित लाभ।

विजयनगर से तैला मोटर मार्ग 2.00 कि0मी0 फेस ix के अंतर्गत ₹ 95.68 लाख का अनुबंध सं0 04/एस ई-पी0एम0जी0एस0वाई0/2012-13 दिनांक 03/09/2012 के द्वारा अनुबंध किया गया था। कार्य के प्रारम्भ की तिथि 03/09/2012 तथा पूर्ण करने कि तिथि 02/09/2013 थी।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उक्त कार्य आरम्भ में रूद्रप्रयाग खण्ड के पास था, जिसको बाद में माह 10/2013 में जखोली को हस्तांतरित किया गया। हस्तांतरण के समय रूद्रप्रयाग इकाई से न तो किए गए कार्य की माप पुस्तिका ली गई और न ही प्राविधिक स्वीकृति की रिपोर्ट प्राप्त की गई। रुद्रप्रयाग खण्ड द्वारा अपने हस्तांतरण में ₹ 30.80 लाख का व्यय दर्शाया गया था।

माह 10/2013 से कार्य पूर्ण की तिथि (12/2016) तक कार्य जखोली खण्ड द्वारा करवाया गया। जिस पर ओममास एवं अंतिम बिल फरवरी 2017 के अनुसार कुल ₹ 50.11 लाख व्यय किया गया। अभिलेखों के अनुसार कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि 09/2013 थी। लेकिन कार्य 03 वर्ष पश्चात 01/2016 में पूर्ण हुआ। उपलब्ध कराये गए अभिलेखों के अनुसार ठेकेदार ने न तो समयवृद्धि के लिये अनुरोध किया और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा समयवृद्धि दी गयी। जबकि ठेकेदार की सामान्य शर्तो के प्रस्तर 28.1 में यह स्पष्ट है कि 30 दिनो से अधिक की देरी पर ठेकेदार को पूर्व में ही इंप्लोयर से अनुमति लेनी होगी। तथा शर्त 44.1 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कार्य में विलम्ब के लिए ठेकेदार जिम्मेदार है, तो बिल की राशि से 10 प्रतिशत का लिकुईडेटेड डैमेज वसूल किया जाएगा। किन्तु इकाई द्वारा न तो समयवृद्धि दी गयी और न ही लिकुईडेटेड डैमेज वसूल किया गया। जो कि ₹ 80.91 (30.80+50.11) लाख का 10 प्रतिशत ₹ 8.09 लाख होता है।

साथ ही कार्यो में यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा कभी भी न तो लोड बेयरिंग कैपिसिटी की टेस्टिंग करवाई गयी और न ही लगायी गयी सामग्री की टेस्टिंग करवाई गयी। जबकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के प्रस्तर 35 एवं 36 नियमित परीक्षण की बात कही गयी थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीक्षण अभियंता द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि निर्माणाधीन/पूर्ण सेतुओ के बेयरिंग परीक्षण भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कंपनी से करवाए जाये। अंतिम बिल की जांच में यह भी पाया गया कि मैनुअल आधार पर मिट्टी कटिंग कार्य पर ₹ 2.34 लाख की धनराशि का व्यय किया गया है जो कि अनुबंध में नहीं दिया गया था।

इकाई से पूछने पर बताया गया कि ठेकेदार द्वारा समयवृद्धि आवेदन न करने के कारण अग्रिम अर्थदण्ड की कार्यवाही नहीं की जी सकी। ठेकेदार की प्रतिभूति जमा से वसूली कर ली

जायेगी। टेस्टिंग के संबंध में कहा गया कि ठेकेदार के उदासनीनता के कारण टेस्टिंग का कार्य नहीं हुआ, भविष्य में विशेष ध्यान रखा जायेगा। तथा कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर मिट्टी का अतिरिक्त कार्य कराया गया जिसको सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन हेतु शीघ्र ही भेजा जायेगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, क्योंकि ठेकेदार द्वारा समयवृद्धि आवेदन न करने पर इकाई को अंतिम बिल के भुगतान तक लिकुईडेटेड डैमेज की राशि ₹ 8.09 लाख की कटौती कर ली जानी चाहिये थी। साथ ही बिना टेस्टिंग रिपोर्ट के ठेकेदार को भुगतान नहीं किया जाना चाहिये था। अतिरिक्त किये गये कार्य ₹ 2.34 लाख को अंतिम बिल के भुगतान के समय सक्षम प्राधिकारी से अवश्य अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिये था। जो कि नहीं किया गया।

अतः विजयनगर से तैला मोटर मार्ग स्पान स्टील ग्रिडरब्रिज मे अनुबंध और शर्तो का पालन न किये जाने के कारण ठेकेदार को ₹ 10.43 लाख[1] का अनुचित लाभ दिये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

[1]रु 8.09 लाख + रु 2.34 लाख = रु 10.43 लाख

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।।'अ'प्रस्तर संख्या	भाग–।।'ब'प्रस्तर संख्या	स्टैन, यदि हो	अनिस्तारित प्रस्तरों का अनुपालन
--- इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा है ---				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः **प्रथम लेखा परीक्षा**

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तमकार्य

— शून्य —

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (सिंचाई प्रखण्ड), जखोली, रुद्रप्रयाग** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है।तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

(i) }
(ii) } –– शून्य ––

2. सतत् अनियमितताऐंः

(i) }
(ii) } –– शून्य ––

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री पवन कुमार सिंह	अधिशासी अभियंता	01.04.2013 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलितकर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (सिंचाई प्रखण्ड), जखोली, रुद्रप्रयाग** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.